निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1931 (श0)

(सं0 पटना 177) पटना, बुधवार, 22 अप्रील 2009

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2008

सं० 9/विविध–14–71/2007 का0.–13684—बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली–2006 के नियम–15 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम 2(ज) एवं 13 के आलोक में सचिवालय लिपिकीय सेवा में वरीयता के अवधारण हेतु बिहार राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) निम्नांकित विनियमावली बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । :–

(i) यह विनियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा(सामान्य वरीयता सूची) विनियमावली 2008, कही जा सकेगी ।

(ii) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ ।—इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली 2006'तथा ;

(ii) शब्दों और संदर्भो; जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं और जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा, जैसा कि नियमावली में निर्दिष्ट है ।

3. वरीयता सूची तैयार किया जाना ।—सचिवालय के सभी विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत इस सेवा के किसी भी काटि के कार्मिकों, जिनकी सेवा संपुष्ट हो चुकी है, की सापेक्षिक वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) निम्न वर्गीय लिपिक ।—सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक कोटि की पारस्परिक वरीयता नियमावली के नियम 11 के उपबंधों के अनुसार विभागवार अलग–अलग संबंधित विभागों के द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ख) उच्चवर्गीय लिपिक :–

(i) नियमावली के नियम 12(3)के अधीन इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः शामिल कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

(ii) नियमावली के नियम 12 (i) एवं (ii) के अधीन उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता इस कोटि में उनकी प्रोन्नति की तिथि के अनुसार होगी। यदि प्रोन्नति की तिथि समान हो तो वरीयता का निर्धारण प्राप्त अधिक वेतन, तत्पश्चात् उच्चतर वेतनमान और फिर उम्र के आधार पर होगा।

4. सामान्य वरीयता सूची का संधारण :–

(i) इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची का निर्माण एवं संधारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा और इसी के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(ii) इस सामान्य वरीयता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव ।

---

31 दिसम्बर 2008

संख्या 9/विविध–14–71/2007 का॰ 13685—अधिसूचना संख्या 13684 दिनांक 31.12.2008 का संलग्न अँगरेजी अनुवाद एतद्द्वारा बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव ।

The 31st December 2008

No.9/vividh-14-71/2007 Ka-13684—In exercise of the powers conferred by rule-15 of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006, the State Government of Bihar(Personnel and Administrative Reforms Department) hereby makes the following regulations for determination of common seniority list in the secretariat clerical service in the light of Rule-2(h) and 13 of the said Rules :-

1. *Short title and commencement :-*

(*i*) These regulations may be called " The Bihar Clerical Service (common seniority list) Regulations, 2008."

(*ii*) It shall come into force at once.

2**.** *Definitions.*— In these regulations, unless the context otherwise requires :-

(*i*) 'Rules' means " The Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006", and;

(*ii*) Words and references used in these regulations but not defined in these regulations, shall have the same meaning as referred in the Rules.

3. *Preparation of common seniority list :-*

(*i*) The procedure for determination of the inter-se seniority, employees of the service, appointed and working in secretariat and its attached offices, whose services are confirmed, shall be as under :-

(*a*) *Lower Division Clerk* .—Inter-se seniority of lower division clerks, of the service, shall be maintained department wise separately, by the concerned departments, in accordance with the provisions laid down in Rule 11 of the Rules.

(*b*) *Upper Division Clerks :-*

(*i*) The inter-se seniority of the employees automatically observed in the upper division clerk grade shall be determined from date of their initial regular appointments.

(*ii*) The inter-se seniority of the employees promoted in Upper Division Clerk grade under rule 12(1) and (2) shall be determined according to their date of promotions. If the date of promotion being same the seniority shall be determined on the basis of higher pay drawn, followed by pay in higher scale and then followed by the basis of age.

4. *Maintenance of Seniority List :-*

(I) Common seniority list shall be prepared and maintained by the Personnel and Administrative Reforms Department and promotion will be considered on the basis of common seniority list.

(II) The common seniority list may be revised from time to time by the Personnel and Administrative Reforms Department.

By the Order Of Governor Of Bihar,
SARYUG PRASAD,
Deputy Secretary to Govt.

.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 177-571+500-डी0टी0पी0।